

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0नं0:-928 / 2022

ओबरा थाना कांड संख्या :-332 / 2022

20.08.2022

आवेदकगण नामतः अरबिन्द पाल, अंतु कुमार उर्फ अंकु, सिंटु पाल, विकास कुमार, बबन लाल एवं धिरेन्द्र आजाद की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है । आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नहीं है । उक्त वाद की सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध नहीं करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323 एवं 504/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये हैं ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्तगण को मो0-7000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।